म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/बी–6/नियमन/उप/32/पार्ट/2012 भोपाल, दिनांक 22/09/2014

प्रति,

संयुक्त/उप संचालक,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा

विषयः–''दलहन'' पर मण्डी फीस छूट के सबंध में।

संदर्भः–मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 सितम्बर 2014

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा जारी संदर्भित अधिसूचना दिनांक 11 सितम्बर 2014 का मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 11 सितम्बर 2014 प्रकाशित हुई है। जिसके द्वारा दाल मिलर्स द्वारा विदेशो से एवं राज्य के बाहर से मण्डी क्षेत्र मे प्रसंस्करण मे उपयोग के लिये लाई गई उड़द/उरदा, मूंग, तुअर/अरहर, चना, मसूर एवं मटर/बटरा/बटरी पर देय मण्डी फीस के भुगतान से एक वर्ष के लिये छूट प्रदान की गई है। उक्त राजपत्र की छायाप्रति संलग्न है।

अतः आप आपके संभाग की समस्त कृषि उपज मण्डी समितियों को राजपत्र की प्रति उपलब्ध कराकर नियमानुसार पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

19/9/14
संयुक्त संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 424] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 11 सितम्बर 2014—भाद्र 20, शक 1936

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2014

क्र. डी-15-11-2005-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-11-2005-चौदह-3, जो राजपत्र में दिनांक 20 सितम्बर 2013 प्रकाशित हुई है, की शर्तों एवं निबंधों के अधीन राज्य सरकार, एतद्द्वारा ऐसी अधिसूचित कृषि उपज उड़द/उड़दा, मूंग, तुअर/अरहर, चना, मसूर/बटरा/बटरी, जो कि विदेशों से एवं या राज्य के बाहर से किसी मण्डी क्षेत्र में प्रसंस्करण में उपयोग के लिये लाई गई हो, पर उक्त अधिनियम के अधीन देय मण्डी फीस के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान करती है.

मण्डी फीस के भुगतान से यह छूट दिनांक 23 अगस्त 2014 से आगामी केवल एक वर्ष के लिये प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2014

क्र. डी-15-11-2005-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 11 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 11th September 2014

No. D-15-11-2005-XIV-3.—In exercise of the powers conferred sub-section (1) and (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby, subject to the conditions specified in this department notification No. D-15-11-2005-XIV-3, published in the" Gazette" on dated 20th September 2013, Exemption of Mandi Fees on notified agricultural produce Urad/Urda, Mung, Tuar/Arhar, Chana, Masoor and Mattar/Batra/Batri from payment of whole market fee payable under the said Act, which is brought from foreign and or out of the State for processing by the Dal-Mills established in the market area.

This notification for exemption from payment of mandi fees shall come in force from 23rd August 2014 for a period of only one year.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy.Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.